न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2016-00175Jodh2016-097 Sukhram etc Vs LRs of Nimbaram and Ors

---

1. सुखराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट
2. चेतनराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट
3. प्रतापराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट
   निवासीगण पण्डितजी की ढाणी,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. निम्बाराम पुत्र दीपाराम के कायममुकामान-
   1.1. भंवराराम पुत्र निम्बाराम
   1.2. ओमाराम पुत्र निम्बाराम
   1.3. पुरखाराम पुत्र निम्बाराम
2. उम्मेदाराम पुत्र डालूराम
3. पप्पुराम पुत्र डालूराम
4. नेनाराम पुत्र दीपाराम के कायममुकामान-
   4.1. भींयाराम पुत्र नेनाराम
   4.2. गंगाराम पुत्र नेनाराम
   4.3. सीमा पुत्री नेनाराम
   4.4. बगतु पत्नी नेनाराम
5. तोगाराम पुत्र दीपाराम
6. धन्नाराम पुत्र चुतराराम
7. मांगाराम पुत्र चुतराराम
8. मूलाराम पुत्र चुतराराम
9. जीयाराम पुत्र चुतराराम
10. भगाराम पुत्र चुतराराम
    सभी जाति जाट,
    निवासीगण ग्राम पण्डितजी की ढाणी
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
11. तहसीलदार ओसियां

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां दिनांक 29 अगस्त 2016 राजस्व वाद संख्या 34/2007 निम्बाराम के कायममुकामान बनाम सुखराम व अन्य

------- 0 -------

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री नथाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री घेवरराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. 1.1 से 1.3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्तूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां राजस्व वाद संख्या 34/2007 निम्बाराम के कायममुकामान बनाम सुखराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अगस्त 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 अक्तूबर 2016 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर स्थित निम्नलिखित आराजियात में भाई-बंटवारे में स्वयं को ⅛ हिस्सा प्राप्त होना जाहिर करते हुए पेश किया और तदनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा, नाप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री का अनुतोष चाहा -

कमांक	खसरा सं.	खसरा संख्या		विशेष विवरण
		बीघा	बिस्वा	
1	511	5	03	
2	524	25	19	
3	525	0	05	
4	526	0	05	
5	527	62	07	
6	528	9	18	
7	531	34	01	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

8	538	47	08	
9	1034	29	12	
कुल रकबा		214	12	

अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन ने उक्त वाद का जबाब मय काउण्टर क्लेम पेश कर उक्त वाद खारिज किये जाने एवं काउण्टर-क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादी-पक्ष की ओर से जबाबुल-जबाब पेश किया गया। दावे, जबाब मय काउण्टर क्लेम एवं जबाबुल-जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09 जुलाई 2008 को तनकियात कायम की गयी और उसके बाद प्रकरण पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अगस्त 2016 को उक्त वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। उक्त निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि-

1. वादग्रस्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य करीब 40 साल पूर्व आपसी सहमति से हुए भाई-बंट के अनुसार ही मौके पर अलग-अलग कणा-माठ कायम कर तारबंदी एवं बाड की हुई है, और वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट्स का ½ हक-हिस्सा है। खसरा संख्या 1034 में अपीलाण्ट्स के ½ हिस्से में प्रतिवादी-रेस्पो. उम्मेदाराम व पप्पुराम की भूमि भी शामिल है। राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार वादग्रस्त आराजियात संयुक्त दर्ज है। खसरा संख्या 527 रकबा 62 बीघा 07 बिस्वा में अपीलाण्ट्स का हिस्सा ओसिया से चाढी जाने वाली सडक की तरफ आया हुआ है। अपीलाण्ट्स ने न तो कभी औपचारिक विभाजन से इंकार किया और न ही कभी वादी-पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को किसी प्रकार की कोई धमकी दी है। वादकरण अपीलाण्ट्स के कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अतः मूल वाद ही मात्र इस आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य हो जाता है।

2. मामले में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात में वादी-पक्ष का 1/8 हिस्सा किस आधार पर किस प्रकार है?

3. राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान का हिस्सा अंकित नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्राथमिक डिकी जारी करते हुए पक्षकारान की हिस्से बाबत कोई घोषणा नहीं की है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी सीपीसी के आदेश 20 नियम 18 के अनुरुप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में तनकियात बाबत साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में समुचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना अत्याधिक सरसरी तौर पर तनकीवार निर्णय पारित कर दिया गया है। जिसकी पालना में कोई प्राथमिक डिकी भी जारी नहीं की गयी।

5. अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 03 अक्तूबर 2016 को पेश की गयी जो दर्ज की जाकर अदालत हाजा द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की पालना को स्थगित किया गया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में फाइनल डिकी दिनांक 29 सितम्बर 2016 जारी कर दी गयी।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में भाई-बंट के अनुसार अपीलाण्ड्स का 1/8 हिस्सा होता है, वादग्रस्त आराजियात का आदिनांक कभी नाप एवं सीमांकन के आधार पर कोई औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में दादरसी सहित कुल 10 तनकियात कायम की गयी, मगर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तनकीवार समुचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना प्रत्येक तनकी बाबत मात्र औपचारिकता का निर्वहन करते हुए सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निष्कर्ष पारित किया गया है, यथा तनकी संख्या एक आया विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खतोदारी व कब्जे काश्त की आयी हुई है? (जिम्मे वादी) का निस्तारण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र यही अंकित किया गया है कि "तनकी संख्या -01 का भार वादी पर था जिसको वादी संख्या 01 ने बखूबी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से साबित किया है।" जाहिर है कि संदर्भित जमाबंदी, प्रदर्श संख्या एवं उसमें अंकित विवरण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ भी अंकित नहीं किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इसी प्रकार तनकी संख्या दो आया वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच वादग्रस्त भूमि का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया हुआ नहीं है बल्कि अंदाजिया तौर पर हक हिस्से अनुसार बोते है? (जिम्मे वादी) के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "तनकी संख्या -02 जिम्मे वादी रखी गयी थी, जिसको पत्रावली का अवलोकन से गवाहों के बयानों व राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम नहीं है जिसे उक्त तनकी वादी अपने साक्ष्य स्वरूप साबित करने में पूर्णतया सफल रहा।" अंकित कर इतिश्री कर दी गयी। साक्ष्य में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के किस गवाह ने अपने मुख्य बयानों में क्या कथन किया और जिरह में क्या व्यक्त किया, इस संबंध में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है।

यही स्थिति तनकी संख्या तीन व अन्य तनकियात के संबंध में पायी जाती है, जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी "स्पीकिंग ज्युडिशियल जजमेण्ट" की श्रेणी में रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त आराजियात से संबंधित जमाबंदी (खतौनी) ग्राम पंडितजी की ढाणी पटवार क्षेत्र बैठवासिया संवत 2058-2061 के कॉलम संख्या 4 "काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप" में "सुखाराम, चेतनराम, प्रतापराम पि. लिछमणराम, निम्बाराम, नैनाराम, तोगाराम पि. दीपाराम, धनाराम, मांगाराम, मूलाराम, जीयाराम, भगाराम पि. चुतराराम, पारा बेवा चुतराराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज है, **किन्तु इनके हिस्से दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अन्य साक्ष्य-सबूत का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना यह कतई स्पष्ट नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी-पक्ष का वादग्रस्त आराजियात में ⅛ हिस्सा किस आधार पर माना गया?**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा जो आक्षेप अदालत हाजा के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 03 अक्तूबर 2021 को पारित किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में फाइनल डिकी जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में फाइनल डिकी दिनांक 29 सितम्बर 2016 को पारित की गयी है, जो स्पष्टतया अदालत हाजा द्वारा दिनांक 03 अक्तूबर 2016 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये जाने के पूर्व ही जारी कर दी गयी थी। उक्त दिनांक 29 सितम्बर 2016 की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका का अवलोकन करने पर यह भी पाया जाता है कि उक्त आदेशिका में अन्य प्रकरण को प्रश्नगत प्रकरण के साथ कंसोलिडेट किये जाने का प्रार्थनापत्र तथा बंटवारा प्रस्ताव बाबत प्रस्तुत आपत्तियों संबंधित प्रार्थनापत्रों को भी खारिज कर दिया गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां राजस्व वाद संख्या 34/2007 निम्बाराम के कायममुकामान बनाम सुखराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29 अगस्त 2016 अपास्त किये जाते है। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य सबूत का तनकीवार समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए नियमानुसार न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय (speeking judicial judgement) पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर